



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी(SSAAT)  
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर



**email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033**

क्रमांक: एफ 61(188)SSAAT /लोकपाल अपीलेट अथोरिटी/2022-23 /1046 जयपुर, दिनांक 07/06/2024

### कार्यालय आदेश

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 23.12.2021 के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन के संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु लोकपाल नियुक्त किये गये हैं। लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध अपील की सुनवाई हेतु तीन सदस्यों युक्त लोकपाल अपीलेट अथोरिटी का गठन किये जाने का प्रावधान है। राज्य स्तरीय लोकपाल अपीलेट अथोरिटी सदस्यों की नियुक्ति हेतु पात्र एवं योग्य अभ्यर्थियों से सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा दिनांक 15.06.2022 को विज्ञप्ति एवं दिनांक 19.07.2022 को संशोधित विज्ञप्ति जारी कर पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

लोकपाल अपीलेट अथोरिटी के चयन हेतु दिनांक 15.06.2022 को जारी विज्ञप्ति तथा दिनांक 19.07.2022 को जारी संशोधित विज्ञप्ति के तहत प्रारम्भ चयन प्रक्रिया को सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक कारणों से निरस्त किया जाता है।

(संदीप चौहान)

निदेशक,

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही  
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

क्रमांक: एफ 61(188)SSAAT /लोकपाल अपीलेट अथोरिटी/2022-23 /1047-51 जयपुर, दिनांक 07/06/2024  
प्रतिलिपी:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
4. प्रोग्रामर/सूचना सहायक (SSAAT) को पालनार्थ।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, (SSAAT)

RajKaj Ref  
7875313

Document certified by Sandeep Chauhan  
<schauhan1965@rediffmail.com>

Digitally Signed by Sandeep  
Chauhan  
Designation: Director  
Date :07-06-2024 03:57:24